

हिन्दी प्रादेशिक समाचार

आकाशवाणी चंडीगढ़

(तिथि 15 सितंबर 2026, समय 13:05 (5 मिनट))

केंद्र सरकार ने कहा है कि बैंक यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस -यूपीआई.और रू-पे द्वारा संचालित डेबिट कार्ड से 2,000 रुपये तक के लेनदेन या भुगतान पर शुल्क नहीं लगा सकते। सरकारी राजपत्र अधिसूचना के अनुसार कोई भी बैंक या अदायगी प्रणाली प्रदाता इन माध्यमों से लेनदेन करने वाले व्यक्ति पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष शुल्क नहीं लगा सकता।

वित्त मंत्रालय ने यूपीआई लेनदेन पर शुल्क संबंधी नियमों को स्पष्ट करने के लिए भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम के अंतर्गत इन परिवर्तनों को अधिसूचित किया है। इसमें विशेष रूप से रू-पे द्वारा संचालित डेबिट कार्ड और यूपीआई से दो हजार रुपये तक के लेनदेन को इलेक्ट्रॉनिक भुगतान माध्यम के रूप में वर्गीकृत किया गया है। पिछले महीने, सरकार ने स्पष्ट किया था कि उपभोक्ताओं से यूपीआई भुगतान पर शुल्क नहीं लिया जाएगा।

भविष्य में लागू होने वाली कोई भी व्यापारी छूट दर -एमडीआर निर्दिष्ट सीमा से ऊपर के चुनिंदा लेनदेन तक ही सीमित रहेगी। ये शुल्क डेबिट या क्रेडिट कार्ड लेनदेन पर लागू एमडीआर से काफी कम होंगे। ये स्पष्टीकरण भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 में हालिया संशोधन पर चल रही बहस के बीच आया है, जिसमें यूपीआई उपयोगकर्ताओं पर शुल्क लगाए जाने की संभावना को लेकर चिंताएं जताई जा रही हैं।

कैबिनेट मंत्री रणबीर सिंह गंगवा तथा विधायक विनोद भ्याना ने कल शाम हांसी रेलवे स्टेशन पर चार रेलगाड़ियों के अल्प ठहराव का शुभारंभ किया।

कैबिनेट मंत्री रणबीर सिंह गंगवा ने बताया कि इन रेलगाड़ियों के ठहराव से क्षेत्र में रेल संपर्क मजबूत हुआ है।

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश में रेल सुविधाओं का तेजी से विस्तार हुआ है और रेल यात्रा पहले की अपेक्षा अधिक सुविधाजनक हुई है।

विधायक विनोद भ्याना ने कहा कि लोगों द्वारा हांसी में इन रेलगाड़ियों के ठहराव की मांग लंबे समय से की जा रही है उन्होंने रेलवे मंत्रालय तथा संबंधित अधिकारियों का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि अगरतला,गुवाहाटी और प्रयागराज जैसी जगहों के लिए हांसी से ट्रेन की सुविधा मिलना बहुत बड़ी उपलब्धि है।

हरियाणा के राज्यपाल प्रो. असीम कुमार घोष ने कल फरीदाबाद स्थित जे.सी. बोस विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के छठे दीक्षांत समारोह में शिरकत की और चार प्रमुख परियोजनाओं का उद्घाटन किया। जिनमें यूएवी और एंटी-ड्रोन प्रौद्योगिकी के लिए उत्कृष्टता केंद्र और इलेक्ट्रिक वाहन तकनीक केंद्र व विजुअल डिजाइन और एनिमेशन स्टूडियो शामिल हैं।

राज्यपाल ने दीक्षांत समारोह में वर्ष 2024 और 2025 के कुल 3,877 विद्यार्थियों को उपाधियां और पदक प्रदान किए। उन्होंने विश्वविद्यालय में अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देने के लिए अपने विवेकाधीन कोष से 25 लाख रुपये देने की घोषणा भी की।

सिरसा के अतिरिक्त उपायुक्त अर्पित संगल ने कहा है कि जिले के प्रत्येक निजी कोचिंग संस्थान को हरियाणा निजी कोचिंग संस्थान (पंजीकरण एवं विनियमन) नियम, 2026 के दायरे में लाया जाएगा। आज इस उपलक्ष्य में आयोजित बैठक की अध्यक्षता करने के बाद उन्होंने कहा कि इसका मुख्य उद्देश्य जिले में चल रहे सभी निजी कोचिंग सेंटरों में छात्रों की सुरक्षा और उन के अधिकारों की रक्षा सुनिश्चित करना है।

नियमों के तहत प्रत्येक कोचिंग संस्थान को अपना पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा। संस्थानों को अपना विवरण-पुस्तिका जारी करनी होगी, जिसमें ट्यूशन फीस, फीस वापसी की नीति, बैच की समय-सीमा और क्षमता की पूरी जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी। इसके साथ ही, विज्ञापनों में भ्रामक दावे करने वाले संस्थानों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।

हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने कल पंजाब के भूतपूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय प्रकाश सिंह बादल के 25 साल तक राजनैतिक सलाहकार रहे उनके चचेरे भाई मेजर भूपेंद्र सिंह बादल और उनके बेटे अमरवीर सिंह बादल , नगर परिषद सन्नौर के प्रधान एवं आप नेता प्रदीप जोशन के अलावा कई नेताओं को भाजपा का पटका पहना कर पार्टी को शामिल करवाया। श्री सैनी के साथ भाजपा पंजाब के प्रधान केवल सिंह गिल्लो भी उपस्थित रहे।
